

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा जारी शासकीय विज्ञप्ति सं० KA.NI.-2-1315-XI. Dated 07 October , 2013 के संबंध में विभिन्न प्रत्यावेदन मुख्यालय पर प्राप्त हुए हैं जिनके अन्तर्गत इस विज्ञप्ति के संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है ।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए निम्नानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाती है -

1-शासकीय विज्ञप्ति सं० KA.NI.-2-1315-XI. Dated 07 October , 2013 द्वारा निम्न प्राविधान किए गए हैं -

" Every person responsible for making payment to the selling dealer , for discharge of liability on account of valuable consideration payable on sale of goods shall , at the time of making such payment to the seller , either by credit or in cash or in any other manner , towards the satisfaction of tax payable by the dealer on account of sale of any taxable goods , deduct an amount equal to four percent of value of goods ;

Provided that this notification shall not be applicable except in the cases of the transactions between the dealer and , -

- (a) a Department of the Central Government or of any State Government ; or
- (b) a Local Authority under any Act for the time being in force in the State of Uttar Pradesh ; or
- (c) a Corporation or Undertaking established or constituted by or under a Central Act or a Uttar Pradesh Act ; or
- (d) a University or an Educational Institution or a Training Centre .

2- 30 प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा 34 की उपधारा (1) में निम्न प्राविधान हैं -

34. Tax deduction at source

(1) Without prejudice to any other mode of recovery, payment or collection of tax under this Act, the State Government may, by notification in the Gazette, direct that, in a specified case and in the specified circumstances but subject to such conditions as may be specified, every specified person responsible for making payment to the selling dealer, for discharge of liability on account of valuable consideration payable on sale of goods in such cases as may be specified, shall, at the time of making such payment to the seller, either by credit or in cash or in any other manner, towards satisfaction of tax payable by the dealer on account of sale of any taxable goods, deduct an amount determined in the manner specified.

3- 30 प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा 34 की उपधारा (2) में निम्न प्राविधान हैं -

(2) Upon issue of a notification under sub-section (1), where-

- (a) a dealer, who makes sale of any taxable goods and in whose case notification referred to in sub-section (1) applies, for any reason claims that he either is not liable

to pay tax on such sale or is liable to pay as tax an amount lesser than amount of deduction computed in the manner provided; or

(b) the person responsible for making payments to the dealer selling the goods is unable to ascertain the turnover of any goods sold, the person responsible for making payment shall require the selling dealer to produce direction issued in this behalf by the assessing authority of the selling dealer and shall act according to such direction of the assessing authority.

4- 30 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा 34 की उपधारा (4) तथा उपधारा (5) में निम्न प्राविधान हैं -

(4) In the circumstances under sub-section (2), the dealer selling goods may, for issue of direction to the purchaser to deduct an amount lesser than the proposed amount of tax or not to deduct any amount as tax, apply to the assessing authority having jurisdiction over the principal place of his business or if he has no fixed place of business, to the assessing authority in whose jurisdiction he ordinarily resides.

(5) The assessing authority referred to in sub-section (4), after examining the liability of payment of tax of the dealer in respect of sale of goods made and after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, shall by an order in writing direct the purchaser of the goods accordingly.

5- 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-34 के उपर्युक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि धारा 34 (1) के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यदि विक्रेता व्यापारी यह तथ्य प्रस्तुत करता है कि उनसे क्रेता द्वारा संबंधित नोटिफिकेशन में प्रदत्त टी0डी0एस0 की दर से की कटौती न किया जाना / अथवा कम दर से ऐसी कटौती किया जाना अपेक्षित है , तब वह अपने संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष धारा 34 की उपधारा (4) के अनुरूप ऐसे तथ्यों को स्पष्ट करते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि उससे तदनुसार क्रेता द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंध में भुगतान करते समय या तो टी0डी0एस0 की कोई कटौती न की जाए या फिर विज्ञप्ति में वर्णित दर से कम दर पर कटौती की जाए ।

6- कर निर्धारक अधिकारी उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विक्रेता से प्राप्त प्रार्थना पत्र का विचारण करते हुए यदि ऐसे निर्देश निर्गत करने के लिए युक्तियुक्त कारण व आधार उपलब्ध हैं तो संबंधित शासकीय विज्ञप्ति में प्रदत्त कर के अनुरूप कटौती न किए जाने अथवा कम दर से कटौती किए जाने के निर्देश धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन निर्गत कर सकता है ।

7- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न परिस्थितियाँ स्वतः स्पष्ट हैं , जिनमें विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए धारा-34 की उपधारा (5) के अधीन कोई कटौती न किए जाने के आदेश विचारोपरान्त निर्गत किए जा सकते हैं -

(1) जबकि 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में पंजीकृत प्रश्नगत विक्रेता व्यापारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत जारी समाधान योजना को अपनाया गया हो तथा ऐसी समाधान योजना से आच्छादित वस्तु की बिक्री उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति सं0 1315 दिनांक 7-10-2013 के परिप्रेक्ष्य में की जा रही हो ।

(2) जबकि 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में पंजीकृत प्रश्नगत विक्रेता व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के Schedule -IV में प्रख्यापित नान-वैट गुड्स की बिक्री उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति सं0 1315 दिनांक 7-10-2013 के परिप्रेक्ष्य में की जा रही हो तथा ऐसी बिक्री पर देय कर के जमा होने के साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

(3) जबकि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में पंजीकृत प्रश्नगत विक्रेता व्यापारी द्वारा टैक्स इन्वाइस के विरुद्ध ऐसे क्रेता को उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति सं0 1315 दिनांक 7-10-2013 के परिप्रेक्ष्य में बिक्री की जा रही हो तथा ऐसा क्रेता भी उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में प्रश्नगत वस्तुओं के पुर्नविक्रयार्थ अथवा ऐसी वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग हेतु पंजीकृत हो ।

(4) जबकि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में पंजीकृत प्रश्नगत विक्रेता व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के Schedule-I में प्रख्यापित वस्तुओं की बिक्री उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति सं0 1315 दिनांक 7-10-2013 के परिप्रेक्ष्य में की जा रही हो ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति विशेष में संबंधित कर निर्धारक अधिकारी तथ्यपरक निर्णय उपर्युक्त प्राविधानों के सुसंगत लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

8- संबंधित कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण इसकी प्राप्ति के दिनांक से 07 दिन के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में करना सुनिश्चित करेगा । इस संबंध में जो आदेश धारा 34(5) के प्राविधानों के अनुरूप पारित किया जाएगा , उसमें व्यापारी के टिन , उसकी प्रास्थिति , तथा उन कारणों का भी संक्षिप्त उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा जिसके प्रतिफलन में प्रश्नगत आदेश निर्गत है ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में जारी किया जा रहा है ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ

पू0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना , उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, , उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, , उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, , उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छाठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान , विक्रमादित्य मार्ग , लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, , पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, , उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि0/ असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद ।

- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(30न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (33) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर।
- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोह व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों ऐकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पँजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।

- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष आर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महसचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश